————वादीगण

बनाम

1 मोहनराम 2 हडमानाराम पुत्रगण दानाराम नाई 3 बाबूलाल 4 रामस्वरूप पुत्रगण रूघाराम नाई 5 चुकादेवी पत्नी रूघाराम 6 जसोदादेवी पुत्री रूघाराम 7 चुकादेवी 8 छोटु 9 बनसी पुत्रगण सोहनलाल 10 लूणीदेवी पत्नी सोहनराम जाति नाई निवासीगण धीरदेसर चोटियान तहसील श्री डूँगरगढ जिला बीकानेर 11 स्टेट जरिये तहसीलदार, श्री डूँगरगढ

———प्रतिवादीगण

उपस्थिति–

1. श्री मोहनलाल सोनी अधिवक्ता वादी की तरफ से ।
2. श्री जे.पी.मीणा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 10 की तरफ से ।
3. पैरोकार राज स्टेट की तरफ से ।

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह वाद इस न्यायालय में महेन्द्रसिंह वगैरहा ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया कि वादीगण के दादा भंवरसिंह के पिता का नाम मोतीसिंह जी भंवरसिंह जी के पुत्र लालसिंह का देहान्त हो चुका है । इस प्रकार हम वादीगण भंवरसिंह के वारिसान है । हमारे अलावा भंवरसिंह का अन्य कोई वारिसान नहीं है । वादगत खेत खसरा नम्बर 445 तादादी 7.21 हैक्टयर रोही धीरदेसर चोटियान में हम वादीगण्पा के 3/4 हिस्सा कब्जा काश्त में चला आ रहा है । ये 3/4 हिस्सा वादीगण के पूर्वजों के समय से कब्जा काश्त में चला आ रहा है । इस खेत में 1/4 हिस्सा चंदादेवी पत्नी हजारीमल जाति जाट का चला आ रहा है । जिसके संबंध में कोई विवाद नहीं है । वादगत खेत पर पिछले 50 वर्षो से ज्यादा समय से हम वादीगण के पूर्वज भंवरसिंह का ही कब्जा काश्त चला आ रहा था भंवरसिंह के मरने के बाद वादीगण के पिता/पति लालसिंह का कब्जा काश्त चला आ रहा है । पजेसरी टाईटल के मुताबिक वर्तमान में वादीगण का 3/4 हिस्सा कब्जा काश्त चला आ रहा है । प्रतिवादीगण के पूर्वजों का नाम रेवेन्यू रिकार्ड में गलत चला आ रहा है । प्रतिवादीगण के पूर्वजों का नाम रेवेन्यू रिकार्ड में गलत चला आ रहा है । प्रतिवादीगण का व उनके पूर्वज का कभी भी कोई कब्जा काश्त इस खेत पर नहीं रहा है । प्रतिवादीगण ने कभी भी इस खेत को काश्त नहीं किया । वादीगण ने अपना धन व श्रम लगाकर इस खेत की भूमि को उपजाऊ बनाई है और काश्त योग्य बनाई है प्रतिवादीगण का इन खेतों में कोई हक व हिस्सा नहीं हैप्रतिवादीगण का नाम गलत चला आ रहा है । वादीगण के पूर्वज भंवरसिंह का देहान्त हो चुका है लेकिन रेवेन्यू रिकार्ड में अभी तक नामान्तरण वादीगण के नाम से नहीं खोला गया है । वादीगण के पिता/पति लालसिंह का देहान्त हो चुका है । इस प्रकार से हम वादीगण खेत के कानूनन 3/4 हिस्सा के खातेदार हो चुके है । वादीगण प्रतिकुल कराने के आधार पर ही इस खेत के 3/4 हिस्सा के खातेदार बन चुके है । वादीगण का इस खेत में पजेसरी टाईटल व खातेदारी कानूनन बन चुकी है । प्रतिवादीगण का कभी इन खेतों पर कब्जा नहीं रहा हैक । हम प्रतिवादीगण का पिछले 12 वर्षो से ज्यादा समय से इन खेतों पर कब्जा काश्त चला आ रहा है और बतौर खातेदार वादीगण 3/4 हिस्सा की इस खेत की भूमि पर काश्त करते है तथा

Scanned by CamScanner

फसल प्राप्त करते है । वादीगा ने पिछले 1 माह पहले प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि वो वादगत खेत में स्थित रेवेन्यू रिकार्ड में अंकित दानाराम व मालूराम का नाम सहमति से हटा देवें औरउनकी जगह वादीगण का नाम बतौर खातेदार अंकित करा देवे और वादीगण के कब्जा काश्त की भूमि पर किसी प्रकार दखलअंदाजी पैदा नहीं करे तो प्रतिवादीगा ने वादीगण का निवेदन मानने से इंकार कर दिया । यही दावे का हेतु है दावा का आधार वादीगण का प्रतिवादीगण के मुकाबले में खेत पर प्रतिकूल कब्जा (ऐसेन्स पजेशन) होने से प्राप्त है । अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि–

(1) घोषित किया जावे कि वादीगण खेत खसरा नम्बर 445 तादादी 7.21 हैक्टयर वाके रोही धीरदेसर चोटियान तहसील श्री डॅगरगढ में स्थित वादीगण का 3/4 हिस्से के खातेदार काबिज कृषक है और तद्नुसार रेवेन्यू रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जावें और मालूराम, दानाराम व भंवरसिंह का नाम विलोपित किया जाकर उनकी जगह वादीगण का नाम बतौर खातेदार शामिल किया जावें ।

प्रतिवादीगण को जरिये चिरनिषेधाज्ञा की डिक्री से वर्जित फरमाया जावे कि वो खेत खसरा नम्बर 445 तादादी 7.21 हैक्टयर वाके रोही धीरदेसर चोटियान तहसील श्री डूँगरगढ में स्थित वादीगण के 3/4 हिस्सा भूमि व कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी पैदा नहीं करें, बेदखल नहीं करें तथा ऐसा कोई कृत्य अथवा अपकृत्य नहीं करें जिससे वादीगण के हितों पर विपरित असर पडता हों ।

वादीगण के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादीगणों की तरफ से जबाब पेश हुआ कि हम प्रतिवादीगण वादी ने जो दावा पेश किया है वो हम प्रतिवादीगण को स्वीकार है । अतः वादी का दावा डिक्री कर दिया जावे ।

स्टेट की तरफ से पैरोकार ने वाद के सभी बिन्दुओं को अस्वीकार कर जबाब पेश किया कि वाद के बिन्दु 11 में ग्राम धीरदेसर चोटियान के खेत खसरा नम्बर 445 रकबा 7.21 हैक्टयर में से मालूराम, दानाराम व भंवरसिंह का नाम विलोपित किया जाकर डिक्री चाही गई है जबकि इस बाबत ऐसा कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किया है जिसके आधार पर अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है । अतः वर्तमान जमाबंदी के अनुसार व प्रतिवादी रेकार्डेड खातेदार नहीं है एवं वादी द्वारा बिना किसी साक्ष्य सबूतों एवं बिना किसी कानूनी अधिकार के दावा प्रस्तुत किया गया है जो किसी भी प्रकार से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है अतः वादी वाद खारिज किया जावें ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के कॉलम 4 में मालू वल्द जोधा कोम नाई 1/3 हिस्सा, दाना वल्द जोधा कॉम नाई 1/3 हिस्सा, भंवरसिंह पिसरान मोतीसिंह 1/12 हिस्सा जाति राजपूत सा देह चन्दादेवी पत्नी हजारीमल जाति जाट 1/4 हि. सा. कुन्तासर अंकित है । जबकि पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार वादीगण का कहीं भी नाम अंकित नहीं है । वादी व प्रतिवादी अलग अलग जाति व समुदाय से है । पैरोकार राज ने भी अपने जबाब में स्पष्ट किया है कि वादी द्वारा वाद बिना किसी साक्ष्य सबूतों एवं बिना किसी कानूनी अधिकार के दावा प्रस्तुत किया गया है जो किसी भी प्रकार से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है । वादी द्वारा वाद एडवर्स पजेसन के आधार पर स्वीकार करने हेतु निवेदन किया है । एडवर्स पजेसन के आधार पर वाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता । अतः वादी का वाद प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अस्वीकार किया जाता है ।

Scanned by CamScanner

निर्णय

जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के कॉलम 4 में मालू वल्द जोधा कोम नाई 1/3 हिस्सा, दाना वल्द जोधा कॉम नाई 1/3 हिस्सा, भंवरसिंह पिसरान मोतीसिंह 1/12 हिस्सा जाति राजपूत सा देह चन्दादेवी पत्नी हजारीमल जाति जाट 1/4 हि. सा. कुन्तासर अंकित है । वादी द्वारा एडवर्स एजेसन के आधार पर खातेदारी चाही है जो स्वीकार योग्य नहीं है । इसके अलावा वादी रिकार्डेड खातेदार भी नहीं है । अतः वादी प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा साक्ष्य सबूतों के अभाव में अस्वीकार किया जाता है । डिक्री जारी हों ।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2019 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया । पत्रावली बाद निर्णय बाद दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों ।

निर्णय सुनाया गया ।

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूंगरगढ़

Scanned by CamScanner